संख्या–वे0आ0–2–2105/ दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

विशेष सचिव, वित्त,

उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2011

विषय: उ0प्र0 सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–2053/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–401/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा लिये गये सामान्य निर्णयों पर पुनर्विचार करते हुए निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं :–

(1) ऐसे विभागों जिनमें वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिपिकीय संवर्ग से अन्य संवर्गों में उपलब्ध पदोन्नति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, वहां लिपिकीय संवर्ग से अन्य संवर्ग में पदोन्नति की पूर्व व्यवस्था को बहाल कर दिया जाय।

(2) लिपिकीय संवर्ग के ऐसे वरिष्ठ सहायक जो वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में लिये गये निर्णयों को लागू किये जाने के पूर्व अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500–7000 में थे, के लिये वेतनमान रू0 5000–8000 के सादृश्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराते हुए पदनाम प्रधान सहायक रखा जाय। प्रधान सहायक के पदों को पुनर्गठित संवर्ग के वरिष्ठ सहायक के पदों से पदोन्नति कर भरे जाने का प्रावधान किया जाय।

(3) लिपिकीय संवर्ग के पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200 के स्थान पर वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(4) प्रशासनिक अधिकारी के पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले प्रधान सहायक के पदों से शत–प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की जाय।

2. कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2 - 2105 (1) / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।

2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
उप सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 78 सा0 वित्त–23–12–2011–(1402)–5000 प्रतियां–(आफसेट)।